



2026:AHC:22055

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या 2226 वर्ष 2026

श्रीमती उषा देवी
बनाम
अतिरिक्त आयुक्त और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सुधीर कुमार
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आजाद राय

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका में मांगी गई एकमात्र राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वे धारा 219 उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, 1901 के अंतर्गत पुनरीक्षण संख्या 2459 वर्ष 2025 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी202502000002459 (अनुप कुमार गुप्ता बनाम श्रीमती उषा देवी और अन्य) का निर्णय निर्दिष्ट अवधि के भीतर शीघ्रता से करें।
3. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को आदेश से असंतुष्टि है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
4. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति है और न ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निचली न्यायालय को उपरोक्त मामले का समयबद्ध तरीके से निर्णय करने का निर्देश देने के लिए कोई तर्क दिया गया है, सिवाय इसके कि मुकदमा वर्ष 2024 में दायर किया गया है।
5. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, अगर न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त मामले का फैसला विधि के अनुसार करे और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन न दे, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"